न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक, श्रीगंगानगर

09.12.24. प्रार्थी बलराम पुत्र श्री सुरजाराम द्वारा न्यायालय हाजा में वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद में राज्य सरकार को 60 दिवस पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है क्योंकि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थी को बिना नोटिस दिये दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। इसलिए प्रार्थी को 60 दिवस पूर्व राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को नोटिस प्रेषित करने की बाध्यता से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 10:57:35 IST
Reason: SelfAttested